

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 12/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 03/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बड़ागाँव व थानाध्यक्ष बड़ागाँव के कुशल निर्देशन में दिनांक 02.09.2020 उ०नि० मो० अहमद मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर हथिवार चौराहे के पास से अभियुक्त (1) दीपक पाण्डेय, (2) अरविन्द कुमार दुबे, (3) राजकुमार यादव व (4) किशन राजभर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त थाना बड़ागाँव पर पंजीकृत मु०अ०सं० 385/20 धारा 323/341/504/506/427 भादवि में वांछित है। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

1. दीपक पाण्डेय पुत्र अंजनी पाण्डेय ग्राम कोईरीपुर खुर्द, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष
2. अरविन्द कुमार दुबे पुत्र स्व० गंगाधर दूबे उम्र करीब 38 वर्ष निवासीगण ग्राम कोईरीपुर खुर्द, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी
3. राजकुमार यादव पुत्र स्व० जीत नारायण यादव निवासी ग्राम रसूलपुर टेढिया थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी उम्र करीब 42 वर्ष
4. किशन राजभर पुत्र जीता राजभर निवासी ग्राम कुड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण*-**

- उ०नि० मो० अहमद, का० सत्य प्रकाश सिंह, का० मोहित कुमार गुप्ता थाना - बड़ागाँव, जनपद - वाराणसी।

(पी०आर०सेल)
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

लोहता पुलिस द्वारा एक शातिर लूटेरे अपराधी विकाश पाण्डेय गिरफ्तार कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वाराणसी व क्षेत्राधिकारी सदर वाराणसी के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान व थानाध्यक्ष लोहता के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.09.2020 को उ०नि० शैलेश प्रताप सिंह मय हमराह का० पवन यादव के साथ इलाहाबाद बैंक रोहनिया तिराहा लोहता पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति अवैध देशी तमन्चा लिये हुए जगनरायण इण्टर कालेज की तरफ से हरपालपुर के तरफ कहीं बेचने के फिराक में आ रहा है उक्त सूचना पर रोहनिया तिराहा लोहता से हरपालपुर होते हुए जगनरायण इण्टर कालेज के तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुँचे आवश्यक बल प्रयोग कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विकाश पाण्डेय पुत्र स्व० रामबच्चन पाण्डेय ग्राम हरपालपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष बताया, जिसके कब्जे से अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व दो अदद जिन्दा 12 बोर कारतूस बरामद हुआ। उक्त के संबंध में थाना गिरफ्तारी के संबंध में मु०अ०स० 207/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

- विकाश पाण्डेय S/O स्व० रामबच्चन पाण्डेय R/O हरपालपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्त विकाश पाण्डेय का अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 0207/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना लोहता
2. मु०अ०स० 510/2017 धारा 392 भादवि थाना लंका

3. मु0अ0सं0 664/2017 धारा 392 भादवि थाना लंका
4. मु0अ0सं0 545/2017 धारा 392 भादवि थाना लंका
5. मु0अ0सं0 673/2017 धारा 392/41/411 भादवि थाना लंका
6. मु0अ0सं0 559/2017 धारा 392 भादवि थाना लंका
7. दिनाँक 18/10/2019 को ¼ गुण्डा एक्ट

बरामदगी का विवरण –

- 1- एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर
- 2- दो अदद जिन्दा व रंग लाल 12 बोर कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- उ0नि0 श्री शैलेश प्रताप सिंह, का0 दिवाकर गुप्ता, का0 पवन यादव, का0 शंकर राम थाना लोहता वाराणसी

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

***थाना जंसा पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.09.2020 को 02 अभियुक्त रमेश कुमार बिन्द व निरज सिंह गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद*।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03.09.2020 को थाना जंसा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 11.00 बजे ग्राम भतसार मडई के पास से 02 अभियुक्त (1) रमेश कुमार बिन्द पुत्र राममूरत बिन्द ग्राम खेवली पाण्डेयपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी व (2) नीरज सिंह पुत्र मिठाई सिंह ग्राम भतसार थाना जंसा वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से 05-05 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद हुई। पकड़े गये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

1. रमेश कुमार बिन्द पुत्र राममूरत बिन्द ग्राम खेवली पाण्डेयपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र लगभग 40 वर्ष
2. नीरज सिंह पुत्र मिठाई सिंह ग्राम भतसार थाना जंसा वाराणसी उम्र 28 वर्ष

***बरामदगी का विवरण*-**

- कुल 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण*-**

- उ०नि० अजय कुमार गौड, का०संदीप सिंह, का०अजय गौड, का० शुशील, का०विश्वकर्मा पासवान, का०अखिलेश थाना जंसा जनपद वाराणसी।

(पी०आर०सेल)
जनपद वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 02.09.2020 को थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा 03 अपचारी गिरफ्तार, चार अदद चोरी की मोटर साइकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी व अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट व थाना प्रभारी वाराणसी के निर्देशन में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर ने सूचना दिया कि रिंग रोड चांदमारी की तरफ से एक अपाची मोटर साइकिल से आ रहे हैं। वाहन चोरी की है, वाहन को लेकर इधर-उधर घूम रहे हैं बेचने की बात कर रहे हैं अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। तभी एक मोटर साइकिल से तीन लड़के चांदमारी के तरफ से आते दिखाई दिए तो वह तीनों लड़के मीरापुर बसही चौराहे के पास आये तो पुलिस वाले को देखकर मोटर साइकिल पीछे मोड़ कर भागने का प्रयास किये कि मोटर साइकिल मोड़ते समय फिसलकर गिरे गये तभी तीनों लड़के को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

पूछताछ विवरण-

पकड़े गये लड़के से पूछताछ की गयी तो बताये कि यह मोटर साइकिल अपाचे UP 65 CK 9605 जो हम लोगों के पास है, मोटर साइकिल हम तीनों मिलकर ऐडे रोहनिया से दिनांक 30.8.2020 को चुराए हैं और बेचने के लिए लेकर इधर आये थे और बेचने की फिराक में थे कि आप लोग पकड़ लिए गए। कड़ाई से पूछने पर तीनों लड़के ने एक स्वर में बताया कि हम लोग तीन और मोटर साइकिल चोरी की जो अपने साथी के घर पर छिपा कर रखे हैं। बताये गये स्थान से तीनों मोटर साइकिल बरामद किया गया। तीनों चोरी के मोटर साइकिल के संबंध में बताये की शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी किया है जिसे बेचने के लिए छिपा कर रखे है। उक्त के संबंध में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता : -

- 03 बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 342/2020 धारा 379 भादवि थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
- मु0अ0सं0 0477/ 2020 धारा 41/411/413/414 भादवि शिवपुर वाराणसी

बरामदगी का विवरण:-

01-अपाचे मोटर साइकिल नंबर UP 65 CK 9605 -चेचिस नंबर MD634KE60G2H72132 इंजन न0 OE6HG2138427

02- मोटर साइकिल CBC जिसका चेचिस न0 MBLKC12ECAGK0881 इंजन न0 KC12EBAGK04633
बिना नंबर लाल रंग की

03- अपाचे मोटर साइकिल सफेद रंग इंजन नंबर CE6FH2021120 चेचिस नंबर घिसा हुआ

04- मोटर साइकिल स्टैनर जिसका इंजन नंबर JG5ET3220135 व चेचिंग नं0 MF4JC40CGA8028238

***गिरफ्तार करने वाली टीम*:-**

1- उ0नि0 श्री चन्द्रदीप कुमार चौकी प्रभारी चाँदमारी थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।

2- उ0नि0 राजेश सिंह थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।

3- का0 मनोज कुमार - थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।

4- हे0कां0 शिवाकांत सिंह, थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।

5- कां0 शशिकान्त यादव थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 16/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 03/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 03-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 58 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *148 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1465 वाहनों का चालान, 01 वाहन सीज तथा 589 वाहनों से रु0-4,49,900/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 03-09-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1923 व्यक्तियों से रु0-1,05,600/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी